Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– रेफरेन्स/एल.आर./1499/2006/सवाईमाधोपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. रतन्या कायम मुकाम चन्द्रा, रामकुवार पिसरान रतना
2. मोहन कायम मुकाम मुरली,हीरा लाल,बबलू पिसरान मोहन, रामप्यारी पत्नी मोहन जाति रेगर निवासी सारसोंप तहसील चौथ का बरवाडा

–अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित–

श्री शिवप्रकाश चौधरी उप राजकीय अभिभाषक
श्री शशिकान्त जोशी अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :

1. यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 23–12–05 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2028 से 2031 में खसरा नम्बर 386/4,387/2,390/5,392,393/1,396/2,399/1 रकबा 12 बीघा 5विस्वा व 402/1 रकबा 6बीघा 19 विस्वा किस्म नाला के रूप में अभिलिखित थी। जिसमें से 1बीघा 5 विस्वा भूमि का आवंटन अनियमित रूप से अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया है जो अवैध है। नियम विरूद्ध आवंटन की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 616 गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 715 खातेदारी का तत्पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1216 तस्दीक किया गया जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः खोले गये नामान्तरकरण निरस्त किये जावें।

अतः खातेदारान का नाम विलोपित कर पुनः नाला दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया गया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहससुनी गई।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी जिसको गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी को आवंटन कर खातेदारी में दर्ज कर दिया। अतः खातेदारान का नाम विलोपित कर उक्त आराजी को पुनः गैर मुमकिन नाला दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

5. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी उनके बुजुर्गो के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है। विधि अनुसार उन्हें आवंटन की गई है। आधार वर्ष का कोई रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र सम्बत 2028 से सम्बत 2031 की जमाबन्दी पेश की गई है। वादग्रस्त आराजी मौके पर नाले के रूप में नहीं है। उक्त भूमि पर वर्षो से काश्त होती आ रही है। रेफरेन्स अपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2028 से 2031 में खसरा नम्बर 386/4,387/2,390/5,392,393/1,396/2,399/1 रकबा 12 बीघा 5विस्वा व 402/1 रकबा 6बीघा 19 विस्वा किस्म नाला के रूप में अभिलिखित थी। जिसमें से 1बीघा 5 विस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है । पत्रावली में सम्बत 2028 से 2031 क पूर्व का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2-8-04 में दिये गये निर्देशो के अनुसार ऐसी गैर मुमकिन भूमियों की दिनांक 15-8-47 की स्थिति कायम की जानी आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 15-8-47 के दिन की क्या स्थिति थी इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सम्बत 2028 एवं उसके बाद की स्थिति का अभिलेख तो पत्रावली

पर उपलब्ध है परन्तु उससे पूर्व का कोई भी राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह रेफरेन्स अपूर्ण होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

8. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेफरेन्स किसी निर्णय, आदेश, कार्यवाही के विरूद्ध ही किया जा सकता है जैसा कि धारा 82 में प्रावधित किया गया है कि–

Power to call for records and proceedings and reference to State Government or Board- The settlement Commissioner or the Director of Land Records (or a Collector) may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non judicial nature not connected with settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश,कार्यवाही को निरस्त कराने का अनुरोध नहीं किया गया है अपितु राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी के नाम वर्तमान अंकनों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा हस्तगत प्रकरण में इतना ही निष्कर्ष अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी जो कि वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी निर्णय, आदेश, कार्यवाही का परीक्षण किया गया हो और बाद जांच यह पाया गया हो कि अब कौन से आदेश, निर्णय या कार्यवाही में अनियमितता हुई जिसके सम्बन्ध में उसको निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकरण में इस प्रकार की भी कोई स्थिति नहीं है।

9. रेफरेन्स प्रकरण में अभिशंसा करने से पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सम्बन्धित तहसील से यह रिर्पोट भी नहीं मंगवाई कि अप्रार्थी को

किये गये आवंटन से क्या बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई रूकावट अथवा व्यवधान पैदा हो रहा है। पत्रावली पर केवल सम्बत 2028से 2031 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है। अन्य कोई रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सम्पूर्ण रेकार्ड की जांच किये बिना एक लम्बे समय बाद सरसरी तौर पर रेफरेन्स प्रार्थनापत्र मण्डल को प्रेषित किया जाना न्यायोचित नही है।

10. अतः उक्त प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वह सम्पूर्ण रेकार्ड का परीक्षण कर अगर आवश्यक हो तो रेफरेन्स प्रकरण विस्तृत अभिशंसा के साथ राजस्व मण्डल को प्रेषित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य